कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 2658 / FP/UK/ROAD/34380/2018 देहरादूनः दिनांकः 17 जून, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 हे0 वनभूमि के सम्बन्ध में।

(Online File No-FP/UK/ROAD/34380/2018)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 27.04.2020

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 27–04–2020** के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No 1 CA site suitability certificate still not found uploaded.	CA site suitability certificate को भाग 1 के additional information Sr. No- 35 में अपलोड कर दिया गया है।
2	In reply to point NO 4 justification submitted by the State Govt. sseems not satisfactory. State govt requested to submit revised proposal upto point No 22 (as per digital map).	Justification सही कर पुनः आनलाईन अपलोड कर दिया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि चूकिं यह मार्ग पूर्व में निर्मित एल0वी0आर0 में ही बनाया जा रहा है। जिस पर केवल चौडीकरण ही किया जाना प्रस्तावति है। जिस हेतु वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग के किमी0 3.03 अर्थात Geo referenced map के बिन्दु संख्या 16 तक आरक्षित वन भूमि तथा कुछ भाग में सिविल सोयम भूमि आ रही है, तत्पश्चात् शेष भाग के अधिकतर नाप भूमि आ रही है। जिस कारण प्रस्ताव को बिन्दु सं0 40 तक बनाया गया है, चूकिं डिरनाड गॉव की अधिकांश आबादी Geo referenced map बिन्दु सं0 30 से 40 के मध्य निवास करती है।
3	In reply to point no 5, location of village Dirnad still not marked in the KML file.	प्रस्तावक विभाग द्वारा लाभान्वित डिरनाड गॉव की लोकेशन KML file में अंकित कर दिया गया है।
4	In reply to point no 6, no correction made by the State Govt shape of digital mao and KML file of CA area are still not matching.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Shape of digital map and KML file का area मैच करा दिया गया है।

5	In reply to point No 7, neither revised CA scheme nor any justification submitted by the State Govt.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 972/3–5–2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार रू0 2,78,665.00 प्रति हे0 का दर से revised CA scheme तैयार किया गया है।
6	In reply to point No 9, details of muck dumping area still not added in non forest land column at para B-2.3 of part I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा भाग 1 के Muck dumping area has been added in non forest land column at para B-2.3 में अपलोड कर दिया गया है।
7	In reply to point No 10, it is seen that area of muck dumping sites comes to 0.86ha instead of 0.597 ha proposed in non forest land.	प्रस्तावक विभाग द्वारा कि कुल 1.57 हे0 non forest land में muck disposal चयन किया गया है जिसमें से केवल 0.597 हे0 भूमि को ही मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित किया गया है। यदि भविष्य में मक अत्यधिक मात्रा में निकलता है, शेष (1.57–0.597 हे0 = 0.973 हे0) में मक डिस्पोजल किया जायेगा।
8	In reply to point No 11, still benefits of road mentioned instead of reason for locating the project in forest land in the justification uploaded at para D in Part I.	Justification for locating project in forest land uploaded at para D (i) of part I satisfactory by user agency.
9	In reply to point No 11, it is also mentioned in justification the one jeep road is already constructed. State Govt may clarify, if any approval under FCA has already been obtained for construction of Jeep road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है। कि चूकिं यह मार्ग पूर्व में निर्मित एल0वी0आर0 मे ही बनाया जा रहा है जिस पर केवल चौडीकरण ही किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है।
10	In reply to point no 12, no correction made by the State Govt.	Correction has been done in Form A, part II.
	In reply to point no 13, no correction made by the State Govt.	Correction has been done in Form A, part II.

संलग्न–यथोपरि।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

16/6/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी